

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

No. 296]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जुलाई, 2016

संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के पत्र संख्या 8/(15)2015-टीएएमपी दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई 2016 के अनुसरण में इसके दर मानों में संशोधन करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट है।

महा पत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून 2016 के इस 21वें दिन को पारित)

यह मामला पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के पत्र संख्या 8/(15)2015-टीएएमपी दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई 2016 के अनुसरण में तटीय पोत और कंटेनर भंडारण प्रभारों (तटीय) के लिए पोत संबंधी प्रभारों से संबंधित इसके दर मानों में संशोधन करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क नीति, 2015 के अंतर्गत एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अपने आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा एनएमपीटी के संशोधित दर मानों का अनुमोदन कर दिया है। यह आदेश भारत के राजपत्र में संख्या 133 दिनांक 13 अप्रैल 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में यह उल्लेख है कि संशोधित एसओआर भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त होगा। उक्त आदेश में निर्धारित एनएमपीटी के एसओआर की वैधता अवधि 31 मार्च 2019 तक होगी।

3.1. उपर्युक्त आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान विनिमय दर के संदर्भ में तटीय दरों के निर्धारण से संबंधित पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र संख्या 8/(15)2015-टीएएमपी दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखा गया है।

3.2. सितम्बर 2015 में जारी पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, तटीय पोत के लिए पोत संबंधी प्रभारों में भारतीय रुपए प्रति अमरीकी \$ के विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत से संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए इसी प्रकार के प्रभारों के 60% से अधिक न हो और ये प्रभार लागू विनिमय दर पर भारतीय रुपए में वसूल किए जाएंगे। साथ ही, जहां तक विदेशी कंटेनरों के लिए अमरीकी \$ में अभिहित कंटेनर से संबंधित प्रभार का संबंध है, तटीय कंटेनर के लिए अन्य विदेशी कंटेनरों के लिए लागू प्रशुल्क इसी प्रकार के प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होगा और ये प्रभार लागू विनिमय दर पर भारतीय रुपए में वसूल किए जाएंगे।

3.3. तटीय पोत और तटीय कंटेनर के लिए दरों के शीघ्र निर्धारण के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के उक्त निर्देशों के आधार पर, इस प्राधिकरण ने महापत्तन न्यासों और वहां प्रचालन कार्य कर रहे निजी टर्मिनलों के एसओआर में निम्नलिखित टिप्पण उपयुक्त रूप से सम्मिलित करते हुए आदेश संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 5 अक्टूबर 2015 पारित किया था और एनएमपीटी एवं संबंधित वीओटी प्रचालकों सहित कार्यान्वयन के लिए सभी महापत्तन न्यासों को भेजा गया था।

“तटीय पोत के लिए दरें 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक हैं, जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।”

4. तदनुसार, इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा अनुमोदित एनएमपीटी के संशोधित एसओआर में, तटीय पोत के लिए पोत संबंधी प्रभार और कंटेनर भंडारण प्रभारों (तटीय) के स्थान पर उपर्युक्त दर्शाया गया टिप्पण समाविष्ट किया गया था। इन मदों के लिए राजस्व के अनुमान के प्रयोजन से, एनएमपीटी ने उस समय प्रचलित 1 अमरीकी \$ = ₹66/- की विनिमय दर पर विचार किया था और अपने विदेशी काउंटरपार्ट के लिए प्रस्तावित दर के परिणामस्वरूप 60% पर तटीय पोत के लिए दर के निर्णय पर पहुंचा था और राजस्व अनुमानों में उसी के प्रभाव को दर्शाया था।

5.1. पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 8/(15)2015-टीएएमपी दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा यह उल्लेख किया है कि तटीय प्रशुल्क की पुनःगणना के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के संबंधों से जो परिणाम संबंधित हैं, उनका समाधान करने की आवश्यकता है। पोत परिवहन मंत्रालय ने यह उल्लेख करते हुए इस प्राधिकरण को निदेश जारी किए हैं कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 8/(15)2015-टीएएमपी दिनांक 17 सितम्बर, 2015 में दिए गए निर्देश को अगले आदेश होने तक अस्थायी रूप से आस्थगित रखने का निर्णय लिया है और (तत्कालीन) जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (एमएसआरटीएच) के पत्र संख्या पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी, 2005 और 9 मार्च 2005 द्वारा जारी पूर्व नीति निर्देशों को बहाल किया है।

5.2. उपर्युक्त को देखते हुए, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 11 मई 2016 द्वारा इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अंतर्गत प्राधिकृत सभी महापत्तन न्यासों और निजी प्रचालकों पर लगाए जाने वाले तटीय कार्गो/कंटेनर/पोत संबंधी प्रभारों को उपयुक्त रूप से शीघ्र निर्धारित करने के लिए निदेश दिए हैं।

5.3. तदनुसार, इस प्राधिकरण ने सभी महापत्तन न्यासों (एमपीटी) को तदनुसार अपने दर मान संशोधित करने के लिए निदेश देते हुए आदेश संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई, 2016 पारित किया है। यह आदेश हमारे पत्र संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा एनएमपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को भेजा गया है।

6.1. इस पृष्ठभूमि में, एनएमपीटी ने अपने पत्र संख्या एनएमपीटी/फाइनें./रिवा./एसओआर/14-15 दिनांक 7 जून 2016 द्वारा तटीय पोत के लिए पोत संबंधी प्रभार एवं तटीय कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभारों के संबंध में विद्यमान संशोधित एसओआर में निर्धारित दरों को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

6.2. एनएमपीटी ने एक विवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा एसओआर में अनुमोदित पोत संबंधी प्रभार और कंटेनर भंडारण प्रभारों और तटीय पोत/तटीय कंटेनर भंडारण प्रभारों के लिए विशिष्ट दर निर्धारित करते हुए प्रस्तावित संशोधित पोत संबंधी प्रभार एवं कंटेनर भंडारण प्रभारों को दर्शाया गया है।

6.3. एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत विवरण का अवलोकन करने पर, यह देखा गया है कि एनएमपीटी ने तटीय पोत कंटेनर भंडारण प्रभारों (तटीय) के लिए दर का निर्णय करने के लिए प्रचलित विनिमय दर अर्थात् 1 अमरीकी \$= ₹66.43 के लिए आवेदन किया है। तटीय पोत के लिए पोत संबंधी प्रभारों के लिए, एनएमपीटी ने अपने विदेशी काउंटरपार्ट पर 40% की पात्रता रियायत पर विचार करते हुए दर का प्रस्ताव किया है।

6.4. यह देखा गया है कि एनएमपीटी ने, तटीय पोत के लिए संशोधित दर का निर्णय करते समय, अमरीकी \$1 = ₹66.43 के वर्तमान विदेशी विनिमय दर के लिए आवेदन करते हुए तटीय पोत के लिए दर को बहाल किया है। यह पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा 11 मई, 2016 को जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें पोत परिवहन मंत्रालय ने अस्थायी रूप से 17 सितम्बर, 2015 के निर्देशों को आस्थगित रखा गया है और (तत्कालीन) जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (एमएसआरटीएच) द्वारा अपने पत्र संख्या पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी, 2005 और 9 मार्च, 2005 द्वारा जारी निर्देशों को बहाल किया है। आदेश संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 7 जनवरी, 2005 के संबंधित पैरा 3(ii), जो तटीय दरों की गैर-बहाली के बारे में एमएसआरटीएच द्वारा 1/3 जनवरी, 2015 द्वारा जारी नीति निर्देशों पर आधारित प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है, को नीचे उद्धृत किया गया है:

"विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण तटीय दर में स्वयं ही वृद्धि नहीं होगी। उन्हें पोतों/कंटेनरों की अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित डालर की मूल्य दरों, यदि कोई हो, से उन्हें अलग करना होता है। दर मानों के प्रत्येक सामान्य संशोधन के समय विद्यमान विनियम दर के संदर्भ में तटीय दर की बहाली का अवलम्ब ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, इस नीति में की गई परिकल्पना के अनुसार, न्यूनतम रियायतों का सुनिश्चय किया जाना चाहिए।"

6.5. एनएमपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पोत परिवहन मंत्रालय के उक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। अतः तटीय पोत के लिए पोत संबंधी प्रभार तटीय श्रेणी के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों को विद्यमान विनिमय दर के अनुसार दरों की बहाली का अवलम्ब ग्रहण किए बिना संशोधित किया गया है। एनएमपीटी ने प्रस्तावित संशोधित दरों पर संशोधित राजस्व अनुमान प्रस्तुत नहीं किए हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के हाल ही के निर्देशों के अनुसरण में, तटीय पोत के लिए पोत संबंधी प्रभारों और तटीय श्रेणी के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों जलावतरण, नौका खींचने के किराया प्रभारों और जल आपूर्ति के लिए प्रभारों को दर्शाते हुए राजस्व अनुमानों का आकलन ₹35602.00 लाख है, जो कि फरवरी, 2016 के आदेश में ₹35,313 लाख के अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की तुलना में कुछ ही अधिक है।

6.6. यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्रशुल्क आदेश दिनांक 27 फरवरी 2016 में ₹35,313.00 लाख की वार्षिक राजस्व आवश्यकता की तुलना में अनुमानित राजस्व ₹36,324.28 लाख है। उक्त आदेश के पैरा 18 (xv) में उल्लेखित कारणों से इस

प्राधिकरण ने एनएमपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित प्रशुल्क को अनुमोदित करने का निर्णय लिया था। हालांकि, यह वार्षिक राजस्व आवश्यकता से ₹1011.28 लाख अधिक है जो कि मामूली रूप से अधिक है।

वर्तमान कवायद के कारण संशोधित राजस्व अनुमान ₹35602.00 लाख है। तटीय पोतों के लिए पोत संबंधी प्रभार, नौका खींचने और जलावतरण के लिए कंटेनर भंडारण प्रभार और तटीय श्रेणी के लिए जल आपूर्ति के लिए प्रभारों में संशोधन विद्यमान विनिमय दर के अनुरूप तटीय श्रेणी के लिए दरों की बहाली न करने संबंधी पोत परिवहन मंत्रालय के नीति निर्देशों के परिणामस्वरूप है। फरवरी, 2016 के आदेश के पैरा 18 (xv) में उल्लेखित कारणों से, तटीय पोत और कंटेनर भंडारण प्रभारों के संबंध में संशोधित दरों का अनुमोदन किया गया है, तथापि, ₹35602.00 लाख का राजस्व अनुमान ₹35313 लाख के अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता से ₹289 अधिक है जो कि मामूली रूप से ही अधिक है। संक्षेप में, फरवरी 2016 के आदेश में अनुमानित राजस्व, जोकि वार्षिक राजस्व आवश्यकता से ₹1011.28 लाख अधिक है अब वर्तमान कवायद में इसमें कमी आयी है और यह ₹289 लाख हो गया है।

6.7 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 11 मई 2016 में यह उल्लेख किया है कि तटीय प्रशुल्क की बहाली के लिए विनिमय दर उतार-चढ़ाव की सम्बद्धता से संबंधित परिणामों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 17 सितम्बर 2015 के पूर्व के निदेशों को अस्थायी रूप से आगे और आदेश होने तक आस्थगित रखने का निर्णय लिया है। इसलिए, एनएमपीटी इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय से आगे और प्राप्त होने वाले निदेशों/आदेशों के आधार पर तटीय दरों में संशोधन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

7.1 परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक रूप से विवेकपूर्ण विचार करने के आधार पर यह प्राधिकरण, संशोधित पोत संबंधी प्रभारों और उसके साथ-साथ अनुबंध के रूप में संलग्न संबंधित टिप्पणों, जिसमें इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा अनुमोदित विद्यमान एसओआर में प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रशुल्क मदों और कंटेनर भंडारण के लिए प्रभारों का निर्धारण किया गया है, का अनुमोदन करता है।

7.2 सामान्यतया, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही प्रवृत्त होता है। तथापि, इस वर्तमान मामले में चूंकि दरों में संशोधन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों से प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए, ये उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जिस तारीख से यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित होगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/16(178)]

अनुबंध

प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा अनुमोदित एनएमपीटी के विद्यमान दर मानों (एसओआर) में निर्धारित टिप्पणियां / अनुसूचियां, जिन्हें निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना है :

(i). **विद्यमान दर मान के अध्याय I के अंतर्गत 1.2 सामान्य शर्तों एवं नियमों के अधीन टिप्पण (vii)(क) , जिसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना है :**

आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा अधिसूचित दरमान में यथा अनुमोदित	निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित
(vii).(क). तटीय पोतों के लिए पोत से संबंधित प्रभारों में भारतीय रुपए प्रति अमरीकी \$ की विनियम दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि तटीय पोतों के लिए पोत से संबंधित प्रभार अन्य विदेशगामी पोतों के लिए इसी प्रकार के प्रभारों के 60% से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, ये प्रभार केवल लागू विनियम दर पर ही भारतीय रुपए में वसूल किए जाएंगे।	(vii). (क). तटीय पोतों के लिए पोत से संबंधित प्रभार अन्य पोतों के इसी प्रकार के प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ii). **विद्यमान एसओआर में निर्धारित अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.1 पत्तन देयों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:**

आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी, 2016 में यथा अनुमोदित					निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए				
2.1. पत्तन देय					2.1. पत्तन देय				
पोत प्रभार्य (15 टन एवं अधिक के समुद्रगामी पोत)	दर प्रति जीआरटी		उसी पोत के संबंध में भुगतान की बारम्बारता		पोत प्रभार्य (15 टन एवं अधिक के समुद्रगामी पोत)	दर प्रति जीआरटी		उसी पोत के संबंध में भुगतान की बारम्बारता	
	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)		विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
जलयान/स्टीमर	0.332	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनियम दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।	प्रत्येक प्रवेश पर	प्रत्येक प्रवेश पर	जलयान/स्टीमर	0.332	5.38	प्रत्येक प्रवेश पर	प्रत्येक प्रवेश पर
पोत खींचना, जलावतरण, नौका आदि इनमें उपर्युक्त सम्मिलित नहीं है	0.053		प्रत्येक प्रवेश पर	प्रत्येक प्रवेश पर	पोत खींचना, जलावतरण, नौका आदि इनमें उपर्युक्त सम्मिलित नहीं है	0.053	2.48	प्रत्येक प्रवेश पर	प्रत्येक प्रवेश पर
एकल बिंदू पर लंगर डालने के स्थान (एसपीएम) पर कच्चे तेल का टैंकर	0.332		प्रत्येक प्रवेश पर	प्रत्येक प्रवेश पर	एकल बिंदू पर लंगर डालने के स्थान (एसपीएम) पर कच्चे तेल का टैंकर	0.332	5.38	प्रत्येक प्रवेश पर	प्रत्येक प्रवेश पर

(iii).

विद्यमान एसओआर में निर्धारित अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.2 लन कोजलपोत संचा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित

2.2 जलपोत संचालन

पोतों का वर्गीकरण

दर प्रति जीआरटी

विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)

तटीय पोत (` में)

(i). आंतरिक एवं बाह्य दोनों के लिए जलपोत संचालन

(क).30,000 जीआरटी तक

0.426 न्यूनतम 1,278 अमरीकी डालर की शर्त के साथ

(ख). 30,001 से 60,000 जीआरटी

अमरीकी डालर 12,780 + अमरीकी डालर 0.340 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक

(ग). 60,001 जीआरटी और अधिक

अमरीकी डालर 22,980 + अमरीकी डालर 0.298 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक

(घ). एसपीएम

अमरीकी डालर 0.2515

दर प्रति पोत

(ii) (क) नौका, पोत खींचना, जलावतरण, आदि जो उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट नहीं है और नौचालन पोत [अतिरिक्त इंजन के साथ/के बिना] एवं मत्स्य पोत जीआरटी 199 तक

अमरीकी डालर 94.88 प्रति पोत

तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ख) जीआरटी 200 और अधिक

अमरीकी डालर 142.31 प्रति पोत

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित

2.2 जलपोत संचालन

पोतों का वर्गीकरण

दर प्रति जीआरटी

विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)

तटीय पोत (₹ में)

(i) आंतरिक एवं बाह्य दोनों के लिए जलपोत संचालन

(क).30,000 जीआरटी तक

0.426 न्यूनतम 1,278 अमरीकी डालर की शर्त के साथ

₹11.37 न्यूनतम `34,110.00 की शर्त के साथ

(ख). 30,001 से 60,000 जीआरटी

अमरीकी डालर 12,780 + अमरीकी डालर 0.340 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक

₹3,41,100.00 + `9.10 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक

(ग). 60,001 जीआरटी और अधिक

अमरीकी डालर 22,980 + अमरीकी डालर 0.298 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक

₹6,14,100.00 + `7.97 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक

(घ). एसपीएम

अमरीकी डालर 0.2515

₹ 9.58

दर प्रति पोत

(ii) (क) नौका, पोत खींचना, जलावतरण, आदि जो उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट नहीं है और नौचालन पोत [अतिरिक्त इंजन के साथ/के बिना] एवं मत्स्य पोत जीआरटी 199 तक

अमरीकी डालर 94.88 प्रति पोत

₹ 2,536.31

(ख) जीआरटी 200 और अधिक

अमरीकी डालर 142.31 प्रति पोत

₹ 3,803.80

(iv). विद्यमान एसओआर में अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.2 के अधीन टिप्पण 3(i) स्थानांतरण प्रभार का प्रतिस्थापन

आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी, 2016 में यथा अनुमोदित		
स्थानांतरण प्रभार		
पोतों का वर्गीकरण	दर प्रति जीआरटी	
	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
(i) (क).30,000 जीआरटी तक	अमरीकी डालर 0.106 न्यूनतम अमरीकी डालर 318 की शर्त के साथ	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।
(ख). 30,001 से 60,000 जीआरटी	अमरीकी डालर 3,180 + अमरीकी डालर 0.085 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक	
(ग). 60,001 जीआरटी और अधिक	अमरीकी डालर 5,730 + अमरीकी डालर 0.074 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक	
दर प्रति पोत		
(ii) (क) नौका, पोत खींचना, जलावतरण, आदि जो उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट नहीं है और नौचालन पोत [अतिरिक्त इंजिन के साथ/के बिना] एवं मत्स्य पोत जीआरटी 199 तक	अमरीकी डालर 23.73 प्रति पोत	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।
(ख) जीआरटी 200 और अधिक	अमरीकी डालर 35.58 प्रति पोत	

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित		
स्थानांतरण प्रभार		
पोतों का वर्गीकरण	दर प्रति जीआरटी	
	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
(i) (क).30,000 जीआरटी तक	अमरीकी डालर 0.106 न्यूनतम अमरीकी डालर 318 की शर्त के साथ	₹2.85 न्यूनतम ₹8,550.00 की शर्त के साथ
(ख). 30,001 से 60,000 जीआरटी	अमरीकी डालर 3,180 + अमरीकी डालर 0.085 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक	₹85,500 + ₹2.27 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक
(ग). 60,001 जीआरटी और अधिक	अमरीकी डालर 5,730 + अमरीकी डालर 0.074 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक	₹1,53,600 + ₹2.00 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक
	दर प्रति पोत	
(ii) (क) नौका, पोत खींचना, जलावतरण, आदि जो उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट नहीं है और नौचालन पोत [अतिरिक्त इंजिन के साथ/के बिना] एवं मत्स्य पोत जीआरटी 199 तक	अमरीकी डालर 23.73 प्रति पोत	₹ 634.41
(ख) जीआरटी 200 और अधिक	अमरीकी डालर 35.58 प्रति पोत	₹ 950.95

(v). विद्यमान एसओआर में अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.2 के अधीन टिप्पण 9 का प्रतिस्थापन

आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित

(क). अपरिहार्य कारणों से, पत्तन की सीमाओं से बाहर पायलट से युक्त पोत के होने की दशा में, पोत अधिकारी किसी अगले समीपस्थ पत्तन पर पायलट को छोड़ने के लिए बाध्य होगा और अधिकारी, स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि प्रत्यावर्तन के लिए और उससे संबंधित सभी औपचारिकताओं के निर्वाह के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही खान-पान, रहने, अन्य उपयुक्त व्यय तथा पायलट के प्रत्यावर्तन पर इस प्रकार के अति वहन किए गए व्ययों का भुगतान करने के लिए भी बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, विदेशगामी पोतों के लिए प्रति घंटे अमरीकी डालर 3.78 की दर से अथवा 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए प्रति घंटे का) तक, जिसका आकलन तटीय पोतों के लिए विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्षतिपूर्ति का भुगतान पायलट के पत्तन में ड्यूटी के लिए वापिस रिपोर्ट करने तक पोत के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित

(क). अपरिहार्य कारणों से, पत्तन की सीमाओं से बाहर पायलट से युक्त पोत के होने की दशा में, पोत अधिकारी किसी अगले समीपस्थ पत्तन पर पायलट को छोड़ने के लिए बाध्य होगा और अधिकारी, स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि प्रत्यावर्तन के लिए और उससे संबंधित सभी औपचारिकताओं के निर्वाह के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही खान-पान, रहने, अन्य उपयुक्त व्यय तथा पायलट के प्रत्यावर्तन पर इस प्रकार के अति वहन किए गए व्ययों का भुगतान करने के लिए भी बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, प्रति घंटे तटीय पोतों के लिए ₹ 101.08 की दर से अथवा विदेशगामी पोतों के लिए अमरीकी डालर 3.78 की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान पायलट के पत्तन में ड्यूटी के लिए वापिस रिपोर्ट करने तक पोत के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(vi) विद्यमान एसओआर में अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.3 के अधीन पोतों के अवरोध प्रभार का निम्नानुसार प्रतिस्थापन:

आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित

2.3. पोतों का अवरोध प्रभार

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित

2.3. पोतों का अवरोध प्रभार

	विवरण	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
(i)	जलपोत संचालन के लिए 0600 बजे से 1800 बजे के बीच 2 घंटे से कम के नोटिस पर अथवा 1800 बजे और 0600 बजे के बीच जलपोत संचालन के लिए 6 घंटे से कम के नोटिस पर पायलट की सेवाओं के लिए मांग पत्र को रद्द करने के लिए	अम.डालर 99.75	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।
(ii)	की गई मांग की अवधि के पश्चात 30 मिनट से अधिक के लिए स्टीमर द्वारा पायलट को बंदी बनाने के लिए		
	(क) प्रथम घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए	अम.डालर 49.88	
	(ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती अथवा उसके किसी अंश के लिए	अम.डालर 41.56	

	विवरण	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
(i)	जलपोत संचालन के लिए 0600 बजे से 1800 बजे के बीच 2 घंटे से कम के नोटिस पर अथवा 1800 बजे और 0600 बजे के बीच जलपोत संचालन के लिए 6 घंटे से कम के नोटिस पर पायलट की सेवाओं के लिए मांग पत्र को रद्द करने के लिए	अम.डालर 99.75	₹2,666.65
(ii)	की गई मांग की अवधि के पश्चात 30 मिनट से अधिक के लिए स्टीमर द्वारा पायलट को बंदी बनाने के लिए		
	(क) प्रथम घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए	अम.डालर 49.88	₹1,332.65
	(ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती अथवा उसके किसी अंश के लिए	अम.डालर 41.56	₹1,110.55

(vii) विद्यमान एसओआर में अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.3.1 पोत खींचने के किराए के लिए निम्नानुसार प्रभारों का प्रतिस्थापन					
आदेश संख्या टीएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित			निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित		
2.3.1. एसपीएम प्रचालनों के लिए पोत खींचने का प्रभार			2.3.1. एसपीएम प्रचालनों के लिए पोत खींचने का प्रभार		
विवरण	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत(₹ में)	विवरण	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत(₹ में)
एसपीएम प्रचालनों के लिए पोत खींचने का प्रभार	अमरीकी डालर 1,240.63	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।	एसपीएम प्रचालनों के लिए पोत खींचने का प्रभार	अमरीकी डालर 1,240.63	₹ 47,275.45
(viii) विद्यमान एसओआर में अध्याय II के अंतर्गत अनुसूची 2.4.1 बर्थ के अधिकरण, जहां व्हार्फ क्रेन अधिष्ठापित नहीं हैं, के लिए बर्थ किराया प्रभार और अनुसूची 2.4.2 तेल टैंकर और अन्य पोत का निम्नानुसार प्रतिस्थापन :					
आदेश संख्या टीएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित			निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित		
2.4.1 बर्थ के अधिकरण, जहां व्हार्फ क्रेन अधिष्ठापित नहीं हैं, के लिए बर्थ किराया प्रभार			2.4.1 बर्थ के अधिकरण, जहां व्हार्फ क्रेन अधिष्ठापित नहीं हैं, के लिए बर्थ किराया प्रभार		
पोतों का वर्गीकरण	प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसके अंश के लिए दर		पोतों का वर्गीकरण	प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसके अंश के लिए दर	
	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$/सेंट में)	तटीय पोत (₹ में)		विदेशगामी पोत (अमरीकी \$/सेंट में)	तटीय पोत (₹ में)
पोत, तेल टैंकर से भिन्न			पोत, तेल टैंकर से भिन्न		
सभी पोत, जीआरटी पर विचार किए बिना	0.23 सेंट न्यूनतम अमरीकी डालर 7.98 की शर्त के साथ	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।	सभी पोत, जीआरटी पर विचार किए बिना	0.23 सेंट न्यूनतम अमरीकी डालर 7.98 की शर्त के साथ	₹0.060 न्यूनतम ₹213.33 की शर्त के साथ

आदेश संख्या टीएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित			निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित		
2.4.2 तेल टैंकर एवं अन्य पोत			2.4.2 तेल टैंकर एवं अन्य पोत		
पोतों का वर्गीकरण	प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसके अंश के लिए दर		पोतों का वर्गीकरण	प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसके अंश के लिए दर	
	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$/सेंट में)	तटीय पोत (₹ में)		विदेशगामी पोत (अमरीकी \$/सेंट में)	तटीय पोत (₹ में)
(i). टैंकर / तेल टैंकर	0.33 सेंट न्यूनतम अमरीकी डालर 6.58	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया है।	(i). टैंकर / तेल टैंकर	0.33 सेंट न्यूनतम अमरीकी डालर 6.58	₹0.089 न्यूनतम रुपए 175.96 की शर्त के साथ
	दर प्रति पोत प्रति घंटा			दर प्रति पोत प्रति घंटा	
(ii). नौचालन पोत , नौका, पोत खींचना, (पोत, स्टीमर और टैंकर से भिन्न)	अमरीकी डालर 4.12 प्रति पोत/घंटा	(विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया है।	(ii). नौचालन पोत , नौका, पोत खींचना, (पोत, स्टीमर और टैंकर से भिन्न)	अमरीकी डालर 4.12 प्रति पोत/घंटा	₹110.06 प्रति पोत/घंटा
(iii). मत्स्य पोत / ट्रावलर/सेवा नौका	अमरीकी डालर 0.66 प्रति पोत/घंटा		(iii). मत्स्य पोत / ट्रावलर/सेवा नौका	अमरीकी डालर 0.66 प्रति पोत/घंटा	₹17.63 प्रति पोत/घंटा
(iv) काष्ठ पतवार से चलायी जाने वाली नौका अतिरिक्त इंजिन सहित/अतिरिक्त इंजिन के बिना	अमरीकी डालर 0.32 प्रति पोत/घंटा		(iv). काष्ठ पतवार से चलायी जाने वाली नौका अतिरिक्त इंजिन सहित / अतिरिक्त इंजिन के बिना	अमरीकी डालर 0.32 प्रति पोत/घंटा	₹ 8.65 प्रति पोत/घंटा
(v) डबल बैंकिंग	जब कभी किसी पोत को बर्थ का अधिग्रहण करने वाले अन्य पोत के साथ डबल बैंक किया जाता है तो ऊपर विनिर्दिष्ट बर्थ किराए के 50% प्रभार की वसूली की जाएगी।		(v). डबल बैंकिंग	जब कभी किसी पोत को बर्थ का अधिग्रहण करने वाले अन्य पोत के साथ डबल बैंक किया जाता है तो ऊपर विनिर्दिष्ट बर्थ किराए के 50% प्रभार की वसूली की जाएगी।	

(ix). विद्यमान एसओआर में अध्याय-II के अंतर्गत अनुसूची 2.4.2 के पश्चात टिप्पण (vii) (क) और (ख) लैश वार्ज का निम्नानुसार प्रतिस्थापन :

आदेश संख्या टीएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित

(vii). लैश नौका

(क) बर्थ किराया प्रभार कार्गो को लादने और उतारने की प्रक्रिया के दौरान विदेशगामी के लिए अमरीकी \$ 0.60 प्रति नौका प्रति घंटे अथवा उसके अंश के लिए अथवा 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के), जिसका आकलन तटीय पोतों के लिए विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है, की दर से प्रभार्य होगी।

(ख) जब नौका सुरक्षित फ्लीटिंग क्षेत्र पर प्रतीक्षा करता है, तो विदेशगामी पोतों के लिए अमरीकी \$ 0.20 प्रति नौका प्रति घंटे अथवा उसके अंश के लिए अथवा (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के), जिसका आकलन तटीय पोतों के लिए विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है, की दर से उनसे वसूली की जाएगी।

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित

(vii). लैश नौका

(क) बर्थ किराया प्रभार कार्गो को लादने और उतारने की प्रक्रिया के दौरान तटीय पोत के लिए ₹ 16.05 प्रति नौका प्रति घंटे अथवा उसके अंश के लिए अथवा विदेशगामी के लिए अमरीकी \$ 0.60 प्रति बार्ज प्रति घंटे अथवा उसके अंश के लिए की दर से प्रभार्य होगा।

(ख) जब नौका सुरक्षित फ्लीटिंग क्षेत्र पर प्रतीक्षा करता है, तो तटीय पोत के लिए ₹ 5.35 प्रति नौका प्रति घंटे अथवा उसके अंश के लिए अथवा विदेशगामी पोत के लिए अमरीकी \$ 0.20 प्रति बार्ज प्रति घंटे अथवा उसके अंश के लिए की दर से उनसे वसूली की जाएगी।

(x) विद्यमान एसओआर में निर्धारित अध्याय-IV के अंतर्गत अनुसूची 4.2 भंडारण प्रभार का निम्नानुसार प्रतिस्थापन :

आदेश संख्या टीएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित

4.2. भंडारण प्रभार

क्र.सं.	कंटेनर का आकार	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन अथवा उसका अंश	
		विदेशी अमरीकी \$ में)	तटीय (₹ में)
1	20' तक	0.285	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है, जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।
2	20' से अधिक एवं 40' तक	0.427	
3	40' से अधिक	0.569	

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित

4.2. भंडारण प्रभार

क्र. सं	कंटेनर का आकार	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन अथवा उसका अंश	
		विदेशी अमरीकी \$ में)	तटीय (₹ में)
1	20' तक	0.285	12.67
2	20' से अधिक एवं 40' तक	0.427	19.02
3	40' से अधिक	0.569	25.36

(xi) प्रचलित एसओआर में जल की आपूर्ति हेतु प्रभार उपसूची 6.1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:				निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित			
आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित							
6.1. जल आपूर्ति के प्रभार				6.1. जल आपूर्ति के प्रभार			
पोत का नाम	दर प्रति के. एल / टोने			पोत का नाम	दर प्रति के. एल / टोने		
	विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)			विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)	
जल प्रभार	USD 4.655	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है, जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।		जल प्रभार	USD 4.655	₹124.42	
(xii). विद्यमान एसओआर में अध्याय VI के अंतर्गत अनुसूची 6.6 पत्तन की सीमाओं के भीतर जलावतरण एवं पोत खींचने के किराए के लिए प्रभार का निम्नानुसार प्रतिस्थापन :							
आदेश संख्या टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित				निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित			
6.6. पत्तन की सीमाओं के भीतर जलावतरण एवं पोत खींचने के किराए के लिए प्रभार				6.6. पत्तन की सीमाओं के भीतर जलावतरण एवं खींचने के किराए के लिए प्रभार			
I. खींचना				I. खींचना			
क्र.सं.	पोत का नाम	दर प्रति घंटा अथवा उसका अंश		क्र.सं.	पोत का नाम	दर प्रति घंटा अथवा उसका अंश	
		विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)			विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
1	32.50 टी.बी.पी.	अम.डालर 1,578.98	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है, जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।	1	32.50 टी.बी.पी.	अम.डालर 1,578.98	₹42,206.22
2	50.00 टी.बी.पी.	अम.डालर 2,342.98		2	50.00 टी.बी.पी.	अम.डालर 2,342.98	₹62,628.37
				II. जलावतरण			
II. जलावतरण							
क्र. सं.	पोत का नाम	दर प्रति घंटा अथवा उसका अंश		क्र.सं.	पोत का नाम	दर प्रति घंटा अथवा उसका अंश	
		विदेशगामी पोत (अमरीकी\$ में)	तटीय पोत (₹ में)			विदेशगामी पोत (अमरीकी \$ में)	तटीय पोत (₹ में)
(क)	बहु-प्रयोजनीय पोत: एम.बी. माल्या	अम.डा.1,528.04	तटीय पोत के लिए दर 60% (विदेशगामी पोत जक्सटापोज्ड के लिए दर के) तक है, जिसका आकलन विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।	(क)	बहु-प्रयोजनीय पोत: एम.बी. माल्या	अम.डा.1,528.04	₹40,844.30
(ख)	लंगर डालने के स्थान पर जलावतरण	अम.डा.152.80		(ख)	लंगर डालने के स्थान पर जलावतरण	अम.डा. 152.80	₹4,084.43
(ग)	पायलट जलावतरण:	अम.डा.387.10		(ग)	पायलट जलावतरण:	अम.डा. 387.10	₹10,347.40
(घ)	सर्वेक्षण जलावतरण:	अम.डा.306.99		(घ)	सर्वेक्षण जलावतरण:	अम.डा. 306.99	₹8,206.10

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th July, 2016

No. TAMP/22/2015-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from New Mangalore Port Trust (NMPT) to amend its Scale of Rates in pursuance of the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 19 May 2016 passed by the Authority in compliance with the direction from the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8/(15)2015-TAMP dated 11 May 2016 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No. TAMP/22/2015-NMPT****New Mangalore Port Trust**

- - -

Applicant**QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 21st day of June 2016)

This case relates to the proposal received from New Mangalore Port Trust (NMPT) to amend its Scale of Rates relating to the Vessel related Charges for coastal vessel and container storage charges (coastal) in pursuance of the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 19 May 2016 passed by this Authority in compliance with the direction from the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8/(15)2015-TAMP dated 11 May 2016.

2. It is relevant to state that this Authority has approved revised Scale of Rates of NMPT vide its Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016 based on the proposal filed by the NMPT under the Tariff Policy, 2015. This Order was notified in the Gazette of India vide no.133 dated 13 April 2016. The said Order stated that the revised SOR will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. The validity of the SOR of the NMPT prescribed in the said Order is till 31 March 2019.

3.1. The above said Order takes into account, among other things, the direction issued by MOS vide its letter No.8/(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 on the prescription of coastal rates with reference to the prevailing exchange rate.

3.2. As per the direction of the MOS issued in September 2015, vessel related charges for coastal vessel should take into account the exchange rate fluctuation of the Indian Rupee vs the US\$ so that vessel related charges for all coastal vessels do not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels and these charges will be collected in Indian Rupees at the applicable exchange rate. Also, as regards container related charges denominated in US\$ for foreign containers, the tariff for coastal container shall not exceed 60% of the corresponding charges applicable for other foreign containers and these charges will be collected in Indian Rupees at the applicable exchange rate.

3.3. Based on the said direction of the MOS for immediate prescription of rates for coastal vessel and coastal container, this Authority passed an Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 5 October 2015 incorporating suitably the

following note in the SOR of Major Port Trusts and private terminals operating thereat and communicated to all the Major Port Trusts including NMPT and concerned BOT operators for implementation.

“Rates for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation”.

4. Accordingly, in the revised SOR of the NMPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016, the above mentioned note was inserted in place of vessel related charges for coastal vessel and container storage charges (coastal). For the purpose of revenue estimation for these items, the NMPT had considered the then prevailing exchange rate of 1 US\$ = ₹66/- and arrived at the rate for coastal vessel at 60% thereof of the rate proposed for its foreign counterpart and captured the impact of the same in the revenue estimates.

5.1. The MOS has, vide its letter No.8/(15)2015-TAMP dated 11 May 2016, stated that the consequence related with linkage of exchange rate fluctuation for restatement of coastal tariff need to be addressed. The MOS has issued a direction to this Authority stating that till such time the issues are addressed, the MOS has decided to temporarily keep its direction vide its letter no.8/(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 in abeyance till further orders and has restored the earlier policy direction issued by the (then) Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (MSRTH) vide its letter no.PR-14019/29/2001-PG dated 1st/3rd January 2005 and 9 March 2005.

5.2. In view of the above, the MOS has vide its communication dated 11 May 2016 directed this Authority to appropriately prescribe the coastal cargo/ container/ vessel related charges levied at all Major Port Trusts and private operators authorized under Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963 immediately.

5.3. Accordingly, this Authority has passed the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 19 May 2016 directing all the Major Port Trusts (MPTs) to amend their Scale of Rates accordingly. This Order was communicated to all Major Port Trusts including NMPT vide our letter No.TAMP/4/2004-Genl. dated 30 May 2016.

6.1. In this backdrop, the NMPT vide its letter no. NMPT/FIN/REV/SOR/14-15 dated 7 June 2016 has filed the proposal to amend rates prescribed in the existing revised SOR in respect of vessel related charges for coastal vessel related and storages charges for coastal containers.

6.2. The NMPT has given a statement indicating the vessel related charges and Container Storage Charges approved in the SOR vide Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016 and the proposed amended Vessel related Charges and Container Storage Charges by prescribing specific rate for Coastal Vessel / Coastal Container Storage Charges.

6.3. On perusing the statement furnished by the NMPT, it is seen that the NMPT has applied the prevailing exchange rate i.e. 1US\$ = ₹66.43 for arriving at the rate for Coastal Vessels container storage charges (coastal). For vessel related charges for coastal vessel, the NMPT has proposed the rate considering the eligible concession of 40% on its foreign counter part.

6.4. It is seen that the NMPT while arriving at the amended rate for coastal vessel has reinstated the rate for coastal vessel applying the current foreign exchange rate of US\$ 1 = ₹66.44. This is not in the line with the direction issued by MOS on 11 May 2016 wherein the MOS has temporarily kept the direction of 17 September 2015 in abeyance and reinstated the direction issued by the (then) MSRTH vide its letter no.PR-14019/29/2001-PG dated 1st/3rd January 2005 and 9 March 2005. The relevant para 3(ii) of the Order No.TAMP/4/2004-Genl. Dated 7 January 2005 passed by the Authority based on the policy direction issued by the MSRTH on 1st/ 3rd January 2015 regarding non reinstatement of coastal rates is reproduced below:

“The coastal rates will not automatically increase on account of exchange rate variations. They are to be delinked from dollar denominated rates, if any, prescribed for other categories of vessels/containers. Restatement of coastal rates with reference to prevailing exchange rate at the time of each general revision of Scale of Rates should not be resorted to. But, the minimum concessions as envisaged by this policy should be ensured.”

6.5. The approach adopted by NMPT is not found in line with the above said MOS direction. Hence, the vessel related charges for coastal vessel and container storage charges for coastal category has been modified without resorting to restatement of rates to the prevailing exchange rate. The NMPT has not furnished modified revenue estimates at the proposed modified rates. The revenue estimates capturing the modified rates in respect of vessel related charges for coastal vessel and container storage charges for coastal category and hire charges of launches, tugs and charges for supply of water in pursuance of the recent direction of the MOS works out to ₹35602.00 lakhs which is marginally higher than the estimated Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹35,313 lakhs in the February 2016 Order.

6.6. It is relevant here to state that the revenue estimated in the tariff Order dated 27 February 2016 is ₹36,324.28 lakhs as against estimated ARR of ₹35,313.00 lakhs. This Authority for the reasons stated in para 18(xv) of the said Order had decided to approve the tariff as proposed by NMPT though it marginally exceeded, ARR by ₹1011.28 lakhs.

The modified revenue estimate on account of the current exercise is ₹35602.00 lakhs. The modification in the vessel related charges for coastal vessels, container storage charges and charges for tugs and launches and charges for supply of water for coastal category arises on account of policy direction of the MOS not to restate the rates for coastal category to the prevailing exchange rate. For the reasons stated in Para 18(xv) of the February 2016 Order, the modified rates in respect of coastal vessel and container storage charges is approved though the revenue estimates at ₹35602 lakhs is marginally higher by ₹289 lakhs over the estimated ARR of ₹35313 lakhs. In short, the revenue estimated in February 2016 Order which exceeded ARR by ₹1011.28 lakhs has now come down to ₹289 lakhs in the current exercise.

6.7. As stated earlier, the MOS in its communication dated 11 May 2016 has stated that the consequences related to linkage of exchange rate fluctuation for restatement of coastal tariff need to be examined so that there is no adverse impact on promotion of coastal shipping. Till such time the issues are addressed, the MOS has decided to temporarily keep its earlier direction dated 17 September 2015 in abeyance till further orders. The NMPT, therefore, can come up with a suitable proposal for modification in the coastal rates based on the further direction/ Orders to be received from the MOS on this matter.

7.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the modified Vessel related Charges alongwith relevant notes which prescribed tariff items and Charges for Container Storage to be replaced in the existing SOR approved by this Authority vide Order dated 27 February 2016 is attached as **Annex**.

7.2. Ordinarily the Order approved by this Authority comes into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette. However, in the instant case since the modification in the rate flows from the direction issued by the MOS, it will come into effect from the date the Order is notified in the Gazette of India.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(178)]

Annex

The notes/ schedules prescribed in the existing Scale of Rates (SOR) of the NMPT approved by the Authority vide Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016 to be replaced as given below:

(i). Note (vii) (a) under 1.2 General Terms and Conditions under Chapter I of the existing SOR to be replaced as follows:	
As approved in SOR notified vide Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016	Replace with the following
(vii).(a). The vessel related charges for Coastal vessels should take into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee Vs US \$ so that vessel related charges for coastal vessels shall not exceed 60% of the corresponding charges for other foreign going vessels. Further, these charges will be collected in Indian Rupees only at the applicable exchange rates.	(vii). (a). The vessel related charges of all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges of other vessels.

(ii). **Replace the Schedule 2.1 Port Dues under Chapter II prescribed in existing SOR as given below:**

As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016					Replace with the following				
2.1. Port Dues					2.1. Port Dues				
Vessels chargeable (Sea going vessels of 15 tonnes and above)	Rate per GRT		Frequency of payment in respect of the same vessel		Vessels chargeable (Sea going vessels of 15 tonnes and above)	Rate per GRT		Frequency of payment in respect of the same vessel	
	Foreign-going Vessels (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)	Foreign-going Vessels (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)		Foreign-going Vessels (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)	Foreign-going Vessels (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)
Ships/ Steamers	0.332	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation.	Each entry	Each entry	Ships/ Steamers	0.332	5.38	Each entry	Each entry
Tugs, Launches, Barges, etc. not included above	0.053		Each entry	Each entry	Tugs, Launches, Barges, etc. not included above	0.053	2.48	Each entry	Each entry
Crude Oil Tanker at Single Point Mooring (SPM)	0.332		Each entry	Each entry	Crude Oil Tanker at Single Point Mooring (SPM)	0.332	5.38	Each entry	Each entry

(iii). **Replace the Schedule 2.2 Pilotage under Chapter II prescribed in existing SOR as given below:**

As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016			Replace with the following		
2.2 PILOTAGE			2.2 PILOTAGE		
Classification of the vessels	Rate per GRT		Classification of the vessels	Rate per GRT	
	Foreign-going Vessels (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)		Foreign-going Vessels (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)
(i). For Pilotage both inward and outward		Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	(i) For Pilotage both inward and outward		
(a). Upto 30,000 GRT	0.426 subject to minimum of USD 1,278		(a) Upto 30,000 GRT	0.426 subject to minimum of USD 1,278	₹11.37 subject to minimum of ₹34,110.00
(b). 30,001 to 60,000 GRT	USD 12,780 + USD 0.340 per GRT over 30,000 GRT		(b) 30,001 to 60,000 GRT	USD 12,780 + USD 0.340 per GRT over 30,000 GRT	₹3,41,100.00 + ₹9.10 per GRT over 30,000 GRT
(c). 60,001 GRT and above	USD 22,980 + USD 0.298 per GRT over 60,000 GRT		(c) 60,001 GRT and above	USD 22,980 + USD 0.298 per GRT over 60,000 GRT	₹6,14,100.00 + ₹7.97 per GRT over 60,000 GRT
(d). SPM	USD 0.2515		(d) SPM	USD 0.2515	₹9.58
	Rate per vessel			Rate per vessel	
(ii) (a) Barges, Tugs, Launches, etc., not specified above and sailing vessels [with/without auxiliary engines] and fishing vessels upto GRT 199	USD 94.88 per vessel	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	(ii) (a) Barges, Tugs, Launches, etc., not specified above and sailing vessels [with/without auxiliary engines] and fishing vessels upto GRT 199	USD 94.88 per vessel	₹2,536.31
(b) GRT 200 and above	USD 142.31 per vessel		(b) GRT 200 and above	USD 142.31 per vessel	₹3,803.80

(iv). **Replace the Note 3.(i) Shifting Charges under Schedule 2.2. under Chapter II in existing SOR as given below:**

As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016		
Shifting Charges		
Classification of vessels	Rate per GRT	
	Foreign going Vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)
(i) (a) Upto 30,000 GRT	USD 0.106 subject to a minimum of USD 318	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation
(b) 30,001 to 60,000 GRT	USD 3,180 + USD 0.085 per GRT over 30,000 GRT	
(c) 60,001 GRT and above	USD 5,730 + USD 0.074 per GRT over 60,000 GRT	
Rate per vessel		
(ii) (a). Barges, Tugs, Launches, etc., not specified above and sailing vessels [with/without auxiliary engines] and fishing vessels upto GRT 199	USD 23.73 per vessel	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation
(b) GRT 200 and above	USD 35.58 per vessel	

Replace with the following		
Shifting Charges		
Classification of vessels	Rate per GRT	
	Foreign going Vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)
(i) (a) Upto 30,000 GRT	USD 0.106 subject to a minimum of USD 318	₹2.85 subject to a minimum of ₹8,550.00
(b) 30,001 to 60,000 GRT	USD 3,180 + USD 0.085 per GRT over 30,000 GRT	₹85,500 + ₹2.27 per GRT over 30,000 GRT
(c) 60,001 GRT and above	USD 5,730 + USD 0.074 per GRT over 60,000 GRT	₹1,53,600 + ₹2.00 per GRT over 60,000 GRT
Rate per vessel		
(ii) (a). Barges, Tugs, Launches, etc., not specified above and sailing vessels [with / without auxiliary engines] and fishing vessels upto GRT 199	USD 23.73 per vessel	₹634.41
(b) GRT 200 and above	USD 35.58 Per Vessel	₹950.95

(v). **Replace the Note 9, under Schedule 2.2. under Chapter II in existing SOR as given below:**

As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016		Replace with the following	
(a).	In the event of the vessel carrying a Pilot outside the Port limits for unavoidable reasons, the Master shall be bound to leave the pilot at the next nearest port and Master, Owner or his representatives shall be responsible for the repatriation and all connected formalities thereof and also be liable to pay all expenses incurred in the matter of boarding, lodging, other reasonable expenses and repatriation of the Pilot thus over carried. In addition, compensation at the rate of US dollar 3.78 for foreign going vessel per hour or upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation for coastal vessels shall be payable by the Master of the vessel till the Pilot reports back to duty at the Port.	(a).	In the event of the vessel carrying a Pilot outside the Port limits for unavoidable reasons, the Master shall be bound to leave the pilot at the next nearest port and Master, Owner or his representatives shall be responsible for the repatriation and all connected formalities thereof and also be liable to pay all expenses incurred in the matter of boarding, lodging, other reasonable expenses and repatriation of the Pilot thus over carried. In addition, compensation at the rate of ₹101.08 for coastal vessels or US\$ 3.78 for foreign going vessels per hour shall be payable by the Master of the vessel till the Pilot reports back to duty at the port.

(vi) Replace the Schedule 2.3 Detention Charges of the vessels under Chapter II in existing SOR as given below :							
As approved in Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016				Replace with the following			
2.3. Detention Charges of the Vessels				2.3. Detention Charges of the Vessels			
	Description	Foreign going vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)		Description	Foreign going vessel (in US \$)	Coastal Vesse (in ₹)
(i)	For cancellation of a requisition for the services of a Pilot with less than 2 hours notice for Pilotage between 0600 hours to 1800 hours or with less than 6 hours notice for Pilotage between 1800 hours and 0600 hours	USD 99.75	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	(i)	For cancellation of a requisition for the services of a Pilot with less than 2 hours notice for Pilotage between 0600 hours to 1800 hours or with less than 6 hours notice for Pilotage between 1800 hours and 0600 hours	USD 99.75	₹2,666.65
(ii)	For detention of Pilot by a Steamer for more than 30 minutes beyond the time for which the requisition was made			(ii)	For detention of Pilot by a Steamer for more than 30 minutes beyond the time for which the requisition was made		
	(a) For 1st hour or part thereof	USD 49.88			(a) For 1st hour or part thereof	USD 49.88	₹1,332.65
	(b) For every subsequent hour or part thereof	USD 41.56			(b) For every subsequent hour or part thereof	USD 41.56	₹1,110.55
(vii) Replace the Schedule 2.3.1 Charges for Hire of Tugs under Chapter II in existing SOR as given below :							
As approved in Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016				Replace with the following			
2.3.1. Tug Hire Charges for SPM Operations				2.3.1. Tug Hire Charges for SPM Operations			
Description		Foreign going vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)	Description		Foreign going vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)
Tug Hire Charges for SPM Operations		USD 1,240.63	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	Tug Hire Charges for SPM Operations		USD 1,240.63	₹ 47,275.45

(viii) Replace the Schedule 2.4.1 Berth Hire Charges for occupation of berth where wharf crane are not installed and 2.4.2 Oil Tankers and other vessel under Chapter II in existing SOR as given below:					
As approved in Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016			Replace with the following		
2.4.1 Berth Hire charges for occupation of berths where wharf cranes are not installed			2.4.1 Berth Hire charges for occupation of berths where wharf cranes are not installed		
Classification of the Vessel	Rate per hour or part thereof per GRT		Classification of the Vessel	Rate per hour or part thereof per GRT	
	Foreign going Vessel (in US \$/cents)	Coastal Vessel (in ₹)		Foreign going Vessel (in US \$/cents)	Coastal Vessel (in ₹)
Vessel other than oil tanker			Vessel other than oil tanker		
All vessels irrespective of GRT	0.23 cents subject to a minimum of USD 7.98	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	All vessels irrespective of GRT	0.23 cents subject to a minimum of USD 7.98	₹0.060 subject to a minimum of ₹213.33
As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016			Replace with the following		
2.4.2 Oil Tankers and Other vessels			2.4.2 Oil Tankers and Other vessels		
Classification of the Vessel	Rate per hour or part thereof per GRT		Classification of the Vessel	Rate per hour or part thereof per GRT	
	Foreign going Vessel (in US \$ / cents)	Coastal Vessel (in.₹)		Foreign going Vessel (in US \$/cents)	Coastal Vessel (in.₹)
(i) Tankers / Oil tankers	0.33 cents subject to a minimum of USD 6.58	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	(i). Tankers / Oil tankers	0.33 cents subject to a minimum of USD 6.58	₹0.089 subject to a minimum of Rs. 175.96
Rate per Vessel per Hour			Rate per Vessel per Hour		
(ii) Sailing vessels, Barges, Tugs (Vessels other than steamer and Tankers)	USD 4.12 Per vessel/hour	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	(ii). Sailing vessels, Barges, Tugs (Vessels other than steamer and Tankers)	USD 4.12 Per vessel/hour	₹ 110.06 per vessel / hour
(iii) Fishing vessels/ trawlers/service boat	USD 0.66 Per vessel/hour		(iii). Fishing vessels/ trawlers/service boat	USD 0.66 Per vessel/hour	₹17.63 per vessel / hour
(iv) Wooden rowing boat with or without auxiliary engines	USD 0.32 Per vessel/hour		(iv). Wooden rowing boat with or without auxiliary engines	USD 0.32 Per vessel/hour	₹ 8.65 per vessel / hour
(v) Double banking	Whenever a vessel is double banked with other vessel occupying a berth, it will be charged 50% of the berth hire specified above		(v). Double banking	Whenever a vessel is double banked with other vessel occupying a berth, it will be charged 50% of the berth hire specified above	

(ix). Replace the Notes (vii) (a) and (b) lash barges after Schedule 2.4.2 under Chapter-II in the existing SOR as given below :							
As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016			Replace with the following				
(vii). Lash Barges.			(vii). Lash Barges.				
(a) The berth hire charges shall be levied at the rate of US \$0.60 per barge per hour or part thereof for foreign going during the process of loading and unloading of cargo or upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation for coastal vessels.			(a) The berth hire charges shall be levied at the rate of ₹16.05 per barge per hour or part thereof for coastal vessel or US\$ 0.60 per barge per hour or part thereof for foreign going during the process of loading and unloading of cargo.				
(b) When the barges wait at the safe fleeting area, they shall be charged at US \$0.20 per barge per hour or part thereof for a foreign going vessel or upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation for coastal vessels.			(b) When the barges wait at the safe fleeting area, they shall be charged at ₹5.35 per barge per hour or part thereof for coastal vessel or US\$ 0.20 per barge per hour or part thereof for a foreign going vessel.				
(x) Replace the Schedule 4.2 Storage Charges under Chapter-IV prescribe in existing SOR as given below:							
As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016			Replace with the following				
4.2. Storage charges			4.2. Storage charges				
Sl. No.	Container Size	Rate per container Per day or part thereof		Sl.	Container Size	Rate per container Per day or part thereof	
		Foreign (in US \$)	Coastal (in ₹)			Foreign (in US \$)	Coastal (in ₹)
1	Upto 20'	0.285	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	1	Upto 20'	0.285	12.67
2	Above 20' and upto 40'	0.427		2	Above 20' and upto 40'	0.427	19.02
3	Above 40'	0.569		3	Above 40'	0.569	25.36
(xi). Replace the Schedule 6.1 Charges for Supply of Water in existing SOR as given below :							
As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016			Replace with the following				
6.1. Charges for Supply of Water			6.1. Charges for Supply of Water				
Description	Foreign-going Vessels (in US \$)	Rate per K.L./Tonne		Description	Foreign-going Vessels (in US \$)	Rate per K.L./Tonne	
		Coastal Vessels (in ₹)				Coastal Vessels (in ₹)	
Water Charges	USD 4.655	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation		Water Charges	USD 4.655	₹ 124.42	

(xii). **Replace the Schedule 6.6 Charges for Hire of Launches and Tugs within the limits of the Port under Chapter VI in existing SOR as given below:**

As approved in Order No. TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016				Replace with the following			
6.6. Charges for hire of launches and tugs within limits of the port.				6.6. Charges for hire of launches and tugs within limits of the port.			
I. Tugs				I. Tugs			
Sl.No.	Name of the vessel	Rate per hour or part thereof		Sl.No.	Name of the vessel	Rate per hour or part thereof	
		Foreign-going vessels (in US \$)	Coastal vessels (in ₹)			Foreign-going vessels (in US \$)	Coastal vessels (in ₹)
1	32.50 T.B.P	USD 1,578.98	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	1	32.50 T.B.P	USD 1,578.98	₹42,206.22
2	50.00 T.B.P	USD 2,342.98		2	50.00 T.B.P	USD 2,342.98	₹62,628.37
II. Launches				II. Launches.			
Sl. No	Name of the vessel	Rate per hour or part thereof		Sl. No.	Name of the vessel	Rate per hour or part thereof	
		Foreign-going vessels (in US \$)	Coastal vessels (in ₹)			Foreign-going vessels (in US \$)	Coastal vessels (in ₹)
(a)	Multipurpose vessel: M.V. Mallya.	USD 1,528.04	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation	(a)	Multipurpose vessel: M.V. Mallya.	USD 1,528.04	₹40,844.30
(b)	Mooring Launches:	USD 152.80		(b)	Mooring Launches:	USD 152.80	₹4,084.43
(c)	Pilot Launches:	USD 387.10		(c)	Pilot Launches:	USD 387.10	₹10,347.40
(d)	Survey Launch:	USD 306.99		(d)	Survey Launch:	USD 306.99	₹8,206.10